

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें, राज० जयपुर

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/18/272

दिनांक:- 06/08/2018

—:: आदेश ::—

राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों द्वारा वर्ष 2018 में पीजी पूर्ण करने के पश्चात आदेशों की प्रतीक्षारत चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया था, उक्त आदेशों की पालना में जिन चिकित्सकों द्वारा पीजी पूर्ण करने के पश्चात नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है, इनको दिनांक 08.08.18 तक कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है अन्यथा बॉण्ड की शर्तों के अनुसार राशि वसूली की कार्यवाही करते हुए रजिस्ट्रेशन निलम्बन की कार्यवाही की जावेगी। चिकित्सक इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/18/272

दिनांक:- 06/08/2018

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-2), राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सम्बन्धित।
5. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जिन सम्बन्धित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सम्बन्धित/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित।
7. संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ/पालनार्थ।
8. प्रभागी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. आदेश/निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।